फा.स.7(10)/2013-लेखा एवं क्रय

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संसद भवन,
नई दिल्ली।

तारीख: 8 जुलाई, 2013

सेवा में

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर आयोजित विभिन्न पुरस्कार वितरण समारोहों के लिए शील्ड/ट्रॉफियां/स्मृति चिह्न खरीदने के लिए कोटेशन।

महोदय,

इस मंत्रालय को केंद्रीय विद्यालयों/जवाहर नवोदय विद्यालयों/दिल्ली के विद्यालयों/विश्वविद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिताओं के समय-समय पर आयोजित विभिन्न पुरस्कार वितरण समारोहों के लिए शील्डें/ट्रॉफियां/स्मृति चिह्न आदि खरीदनी हैं। सामान्यत: इस मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष चार पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किए जाते हैं। निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के आधार पर आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार की शील्डों/ट्रॉफियों/स्मृति चिह्नों मदों की आपूर्ति करने के लिए प्रामाणिक/प्रसिद्ध पूर्तिकारों के साथ आरंभ में संविदा की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए दर संविदा करने का प्रस्ताव है:-

(i) बोलीदाता एक भारतीय कंपनी/फर्म होनी चाहिए जो शील्ड/ट्रॉफियों/स्मृति चिह्नों का विनिर्माण करती हो या भारत सरकार/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनकी आपूर्ति करती हो और जिसका कार्यालय/शाखा कार्यालय दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हो।

(ii) बोलीदाता को भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/राज्य सरकार द्वारा काली सूची में डाला हुआ नहीं होना चाहिए। इस निमित्त बोलीदाता को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iii) प्रत्येक बोलीदाता के लिए आगे उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति प्रस्तुत करनी अपेक्षित है (i) वैट/टिन पंजीकरण प्रमाणपत्र, (ii) पिछले तीन वर्षों के दौरान दाखिल की गई आयकर विवरणियों की प्रतियां, (iii) पिछले तीन वर्षों के परीक्षित लेखा विवरण की प्रतियां। ऐसा न करने पर उनकी बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(iv) बोलीदाता के पास भारत सरकार/राज्य सरकार के विभागों/मंत्रालयों को थोक में शील्ड/ट्रॉफियां/स्मृति चिह्न की आपूर्ति करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए (पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त दो-दो खरीद आदेशों की प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए)।

(v) इच्छुक बोलीदाता समय-समय पर अपेक्षित विभिन्न प्रकार की शील्डों/ट्रॉफियों/स्मृति चिह्नों के नमूनों और आवश्यकता के लिए श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी (युवा संसद), संसदीय कार्य मंत्रालय (दूरभाष नं.23034759) से संपर्क कर सकते हैं और तदनुसार, शील्डों/ट्रॉफियों/स्मृति चिह्नों पर समारोह के उत्कीर्णन और उनकी पैकिंग सहित **अशर्त दरें उद्धृत कर सकते हैं।** यदि कोई कटिंग/ओवर राइटिंग है तो उस पर बोलीदाता के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए।

(vi) पूर्तिकार सामान को अपने जोखिम और लागत पर इस मंत्रालय द्वारा चुनी गई तारीख और नई दिल्ली में चुने गए स्थान पर सही हालत में पहुंचाने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

(vii) मालिक/फर्म को टेलीफोन के साथ-साथ मोबाइल पर भी उपलब्ध रहना चाहिए ताकि इस मंत्रालय से आपात मामलों में उन्हें फोन किया जा सके। अत: टेलीफोन नम्बर के साथ-साथ मोबाइल नम्बर भी दिए जाएं।

(viii) खरीदी जाने वाली शील्डों/ट्रॉफियों/स्मृति चिह्नों की मात्रा निश्चित नहीं की गई है, क्योंकि जब भी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा तभी खरीद की जाएगी।

(ix) यदि भेजी गई शील्डें/ट्रॉफियां/स्मृति चिह्न घटिया स्तर की पाई जाती है तो उन्हें लौटा दिया जाएगा और ऐसी आपूर्ति के लिए संबंधित पूर्तिकार को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए मंत्रालय जिम्मेदार नहीं होगा। **इसके अतिरिक्त, ऐसे पूर्तिकारों को दण्डित किया जा सकता है जिसमें संबंधित फर्म को इस मंत्रालय द्वारा काली सूची में डाला जाना भी शामिल है।**

(x) इस मंत्रालय के पास संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय बिना कोई कारण बताए संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(xi) यदि पूर्तिकार की सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं अथवा वह हमारी आवश्यकता के अनुसार सामान की आपूर्ति करने में असमर्थ रहता है, तो यह कार्य चूककर्ता पूर्तिकार के जोखिम पर किसी अन्य फर्म/पार्टी को सौंप दिया जाएगा। पूर्तिकारों को मंत्रालय को इस बात के लिए संतुष्ट करना पड़ेगा कि आपूर्ति तत्काल की जाएगी।

(xii) इच्छुक फर्म के लिए यह अपेक्षित है कि इस कार्य के लिए अपनी क्षमता सिद्ध करें और अपने किसी प्रतिष्ठित संगठन के पूर्व ग्राहक से अपनी स्थिति और सुनाम (गुडविल) का प्रमाण-पत्र भी उस विभाग के अधिकारियों के नाम, पदनाम और टेलीफोन नम्बर का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करें। फर्म के पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। **फर्म के पैन कार्ड की फोटोकॉपी के बिना प्रस्तुत की गई कोटेशन सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी।**

(xiii) बोलियों के साथ धरोहर राशि के रूप में वेतन और **लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली के पक्ष में रू.5,000/- (रूपये पांच हजार केवल)** का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न किया जाना चाहिए, जिसे संविदा के लागू रहने तक निष्पादन प्रतिभूति के रूप में इस मंत्रालय द्वारा अपने पास रखा जाएगा। असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि लौटा दी जाएगी।

(xiv) संविदा कर लेने के पश्चात, पूर्तिकार को संविदा की अवधि के दौरान किसी भी मद के लिए किसी भी परिस्थिति में अपनी दरें बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, यदि किसी मद की दर घट जाती है तो पूर्तिकार मंत्रालय को उसकी सूचना देगा। **जो विक्रेता संविदागत मूल्य पर किसी मद की आपूर्ति करने से मना करता है, उसके साथ भविष्य में कोई संविदा न करने के अतिरिक्त इस मंत्रालय के विवेकानुसार दंडित किया जाएगा।**

(xv) कृपया अपनी बोली में इस बात के लिए विशेष उल्लेख करना सुनिश्चित करें कि ऊपर उल्लिखित निबंधन और शर्तें आपकी फर्म को पूरी तरह स्वीकार्य हैं।

(xvi) इस मंत्रालय के पास किसी एक अथवा सभी कोटेशन (कोटेशनों) को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार अथवा बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में इस मंत्रालय का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा। इस मंत्रालय के लिए न्यूनतम कोटेशन को स्वीकार करना बाध्यकर नहीं होगा और किसी बोलीदाता की कोटेशन की अस्वीकृति के कारण के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा।

(xvii) बोलीदाताओं को बोलियों की प्राप्ति की अंतिम तारीख की समाप्ति के पश्चात अपनी बोलियों में परिवर्तन या आशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

यदि उपरोक्त निबंधन और शर्तें स्वीकार्य हैं तो कोटेशनों को एक मोहरबंद लिफाफे में रखकर, जिसके ऊपर "शील्डों/ट्रॉफियों/स्मृति चिह्नों की खरीद हेतु कोटेशन" लिखा हो, देर से देर 25 जुलाई, 2013 को अपराह्न 3.00 बजे तक अनुभाग अधिकारी (लेखा और क्रय) कमरा न. 93, संसद भवन (दूरभाष: 23034755) की अभिरक्षा में रखी टेंडर पेटी में जमा किया जा सकता है। उस समय तक प्राप्त कोटेशनों को विधिवत गठित समिति की उपस्थिति में 25 जुलाई, 2013 को अपराह्न 3.30 बजे कमरा न. 92, संसद भवन, नई दिल्ली में खोला जाएगा।

भवदीय,

ह./-

(रामेश्वर प्रसाद)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन : 23034899